## अध्याय — 2

## प्रशासन पर विधायी नियंत्रण

कार्य पालिका के अंतर्निर्मित यंत्र द्वारा प्रशासन पर आंतरिक नियंत्रण पूर्ण जिम्मेवारी एवं उत्तरदायित्व सुनिश्चित करने में पर्याप्त नहीं होता है। प्रजातंत्र में सरकारी अधिकारी अंत में जन साधारण के प्रति ही जिम्मेवार होता है। यह जिम्मेवारी उनके चुने गए प्रतिनिधियों द्वारा व्यवहार में लायी जाती है। सरकारी अधिकारी को न केवल अनुक्रमिक अपितु जन साधारण के प्रति जिम्मेवार भी होना चाहिए, अर्थात् उसे आदेशों का पालन करना चाहिए, आज्ञाकारिता को प्रतिवेदित करना चाहिए। उनके चुने गए प्रतिनिधियों के समक्ष विचलनों की व्याख्या करनी चाहिए। संसदीय प्रजातंत्र में कार्यपालिका संसद से ही अपने अधिकार पाते है। उनके द्वारा नियंत्रण भी खुद संसद द्वारा परोक्ष नियंत्रण होता है। परन्तु ये राजनीतिक कार्य पालिका जब तक कि उन पर उचित नियंत्रण न रखी जाय वे भी जन साधारण जनता के प्रति उदासीन हो सकते हैं। इसलिए संसदीय शासन की प्रथा बहुत से साधन तरीके ढुंढ़े जिससे संसद राजनीतिक कार्यपालिका एवं लोक प्रशासक को अपने प्रति जिम्मेवार रखे। सरकारी अधिकारी इस प्रणाली में संसद के प्रति जिम्मेवार प्रत्यक्षतः नहीं होता है। वे संसद के अंदर भी नहीं बुलाये जा सकते। वे नाम द्वारा आलोचित भी नहीं हो सकते। वे मंत्रीय जिम्मेवारी की आड़ में काम करते हैं। संसद उन्हें उनके मंत्रियों के द्वारा जिम्मेवार ठहराते हैं जिन्हें अपने अधीन कार्यरत अधिकारियों के लिए जिम्मेवारी लेनी होती है।

## संसदीय नियंत्रण के उपकरण

लोक प्रशासन पर संसद कई तरीकों से नियंत्रण रखता है। संक्षेप में मुख्य उपकरण निम्न हैं।

### §1§ प्रशासनिक नीति का नियंत्रण

विधान मंडल द्वारा नवीन अधिनियमों को निर्मित करके या विद्यमान अधिनियमों को समाप्त अथवा संशोधित करके सार्वजनिक नीति निर्धारित किये जाते हैं। चूंकि संसदीय शासन कानून या विधि का शासन होता है विधायी प्रक्रिया संसद को प्रशासकीय नीति पर प्रभाव डालने के लिए एक महत्वपूर्ण उपकरण उपलब्ध कराती है। वहाँ जहाँ विधान मंडल नियम, अधिनियम वगैरह बनाने की जिम्मेवारी देती है, वह कार्य पालिका संसद के समक्ष इन नियम, अधिनियमों को रखने के लिए भी कहती है।

### §2§ विनियोजन का नियंत्रण

कार्य पालिका पर संसद द्वारा नियंत्रणों में सबसे महत्वपूर्ण उसके व्यय पर नियंत्रण रखना है। संसद की स्वीकृति के बिना कार्य पालिका न तो कोई धन उपार्जित कर सकती है और न ही कोई व्यय कर सकती है।

स्वभावतः जो बांसुरी बजाता है उसे ही धुन भी निकालना होता है। यह प्रायः तर्क दिया जाता है कि वित्त प्रशासन पर संसदीय नियंत्रण औपचारिक अधिक तथा वास्तविक कम है। अनुदानों को संशोधित करने का अनुरोध नहीं की जा सकती क्योंकि ये कार्यपालिका द्वारा प्रस्तावित है

और यह संसद [illegible] [illegible] दिये है । फिर भी यह [illegible] ही जानी चाहिए कि इससे सरकार को बजट प्रस्तावित के सुधार का अधिकार का प्रयोग नहीं हो सकते । अपितु सत्य तो यह है कि ये संसद को कार्यपालिका पर अधिकार का अवसर देते हैं । यदि सरकारी बजट प्रस्तावों को सुधार भी नहीं जाता फिर भी बजट प्रक्रिया सरकार की नीतियों पर विचार करने का अच्छा अवसर प्रदान करती है । सामान्य चर्चा के दौरान सदस्य शासन की मुख्य नीतियों को आलोचत्मक समीक्षा करते है और उनके विकल्पों की सुझाव देते है । विभिन्न विभागों के अनुदानों पर चर्चा के दौरान संसद किसी विशेष विभागों के कार्यों का विस्तार से परीक्षण करते हैं और उनको बेहतर बनाने का सुधार देते हैं । विनियोजन एंव वित्त विधेयकों पर चर्चा के दौरान भी अवसर मिलते है ।

## लेखा परीक्षा एंव प्रतिवेदन

संसद की ओर से भारत का लेखा नियंत्रक एंव महा लेखा परीक्षक शासन की लेखे को तैयार एंव परीक्षण करता है । लेखा नियंत्रक एंव महालेखा परीक्षक लेखा परीक्षा के प्रतिवेदन को राष्ट्रपति के समक्ष रखता है जिसे वे संसद की ओर बढ़ा देते हैं । संसद की लोक लेखा समिति इस प्रतिवेदन की परीक्षा करते है और अपनी टिप्पणियों के साथ संसद को लौटा देती है । लोक लेखा समिति के प्रतिवेदन पर चर्चा शासन की कार्य व्यवस्था पर टिप्पणी करने का अच्छा अवसर प्रदान करती है, साथ ही कार्य पालिका की कार्य व्यवस्था को सुधारने का सुझाव भी देती है । इस प्रकार की संसदीय नियंत्रण को शव परीक्षा की प्रकृति का समझा जाता है । परन्तु यह पिछले भूलों के अनुभव पर भविष्य के निष्पादन सुधारने का अवसर भी प्रदान करता है ।

कार्यपालिका से व्याख्या की मांग —— संसदीय प्रश्न संसद के सत्रों में उसके प्रत्येक दिवस का पहला घंटा प्रश्नों के लिए निश्चित रहता है। इस अवधि के दौरान संसद सदस्य शासन से कोई भी प्रश्न पूछने के लिए स्वतंत्र हैं और सम्बन्धित मंत्री को उन प्रश्नों का उत्तर देना होता है। प्रायः मंत्री को प्रश्नों के उत्तर देने के लिए एक सप्ताह की सूचना दी जाती है परन्तु समय पड़ने पर छोटी अवधि की सूचना पर ही प्रश्न पूछने की अनुमति दी जाती है। यह उक्ति मंत्रियों एवं सरकारी अधिकारियों को चौकस रखने में बहुत प्रभावी होता है। जबकि वास्तव में मंत्री प्रश्नों का उत्तर देता है, सरकारी अधिकारी उसे तैयार करते है और मंत्री द्वारा अनुमोदित कराते हैं।

इस उक्ति के निम्न लाभ है।

(1) यह मंत्रियों एंव सरकारी अधिकारियों को जन साधारण के विचार के प्रति सर्तक रखता है।

(2) यह एक सीधी उक्ति है जो विशेषज्ञों को साधारण व्यक्तियों के समूह के प्रति अनुक्रिमक उत्तरदायी रखता है। यह नागरिकों के अधिकारों एवं स्वतंत्रता की रक्षा करता है। वास्तव में कुछ लोगों का कहना है कि संसद में व्याख्या की मांग बन्दी प्रत्यक्षीकरण के कार्यात्मकता के समतुल्य है।

(3) यह मंत्रियों को देश के कोने-कोने में घट रही घटनाओं की सूचना देता है। चूंकि शासन की तंत्र विशाल क्षेत्रों में फैले है यह मंत्री के लिए संभव नहीं कि प्रत्येक स्थानों की प्रत्येक घटनाओं को जाने। परन्तु जब कोई घटना घट जाती है जो उस क्षेत्र से सम्बन्धित सदस्य अपने स्थानीय सम्बन्धों के

...कारण जानते है और उसे प्रश्न के रूप में पूछकर मंत्री को उसकी सूचना देते है । यह मंत्री को इसकी तहकीकात करने एवं आवश्यक सुधार के उपाय करने में सक्षम करता है ।

§ 4 § यह सरकार के प्रति शासन के नीति एवं कार्यक्रमों की प्रतिक्रिया को जाने में सहायता करता है । जन साधारण की अलोकप्रिय प्रतिक्रियाएं एवं विरोध उनके प्रतिनिधियों द्वारा पूछे गए प्रश्नों द्वारा प्रकट होते हैं ।

§ 5 § यह शासन पर जन साधारण का उनके प्रतिनिधियों द्वारा नियंत्रण निर्धारित करता है । सदस्य जन साधारण के कष्टों को संसद के समक्ष रखने में सक्षम होते हैं ।

इस व्यवस्था के निम्न दोष हैं ।

§ 1 § संसदीय प्रश्नों के उत्तर इकट्ठा करने में सरकारी अधिकारियों को बहुत ज्यादा समय तथा सार्वजनिक धन की खपत होती है । ये प्रशासनिक प्रणाली को सुधारने में जरा भी सफल नहीं होते ।

§ 2 § कभी-कभी सदस्यों द्वारा स्वार्थी लोगों की ओर से बहुत निरर्थक प्रश्न भी पूछे जाते है । यह संसद और शासन दोनों का ही समय बर्बाद करता है ।

§ 3 § इस युक्ति का उपयोग सरकारी अधिकारियों के पहल को दबाने के लिए भी किया जाता है । इससे सरकारी अधिकारियों कोई भी निर्णय लेने से पहले ठीक ढंग से विचार करते हैं । उनका ध्यान सदैव संसद में

उनके निर्णय पर तैभावित प्रतिक्रियाओं की ओर लगा रहता है ।

परन्तु इन दोषों के बावजूद यह व्यवस्था संसद द्वारा कार्यपालिका पर नियंत्रण रखने में बहुत सहायक सिद्ध हुआ है । इसकी मुख्य धारणा यह है कि शासन को प्रतिदिन जन साधारण के प्रतिनिधियों के समक्ष प्रश्नों के समूह का उत्तर देना होता है जो प्रशासक को सतर्क रखता है ।

## शून्य काल की चर्चा

यह संसदीय व्यवहार के क्षेत्र में भारतीय खोज है । सन् 1962 के बाद से यह कार्यपालिका पर नियंत्रण के प्रबल उपकरण के रूप में उभरा है यद्यपि यह संसद सदस्यों के लिए औपचारिक निर्धारित उपकरण नहीं है । यह एक नियम के अतिरिक्त उपाय है जो प्रश्न काल के तुरन्त बाद शुरू होता है । इसकी अवधि आधे घंटे की होती है और नियमित संसदीय व्यवहारिक प्रक्रिया के शुरू होने के पहले समाप्त हो जाता है । इसलिए इसे शून्य काल कहते हैं । इस अवधि में दौरान संसद सदस्य सभापति की स्वीकृति से उन सार्वजनिक महत्व के मामलों को उठाते हैं जो उस दिन के कार्य सूची में नहीं है । यह चर्चा बहुत लोक प्रिय है क्योंकि विशेषकर सामान्य संसदीय प्रक्रिया तत्कालिक महत्व के प्रश्नों को उठाने का अवसर नहीं देता ।

## ध्यानाकर्षण प्रस्ताव

कभी-कभी सदस्य अत्यावश्क विषयों पर संसद का ध्यान आकर्षित करने के लिए ध्यानाकर्षण प्रस्ताव का उपयोग करते हैं । मंत्री को प्रायः सदस्यों द्वारा उठाए गए ध्यानाकर्षण प्रस्ताव पर जबाव देने के तैयार रहने के लिए तुरन्त सूचना दी जाती है । यह मंत्री तथा सरकारी अधिकारियों को,

... में उठाए गए [illegible] ...
है । इससे प्रशासन की [illegible] होती है और प्रशासन की निरंकु-
शता एवं निरंकुशता को नियंत्रित किया जाता है । कभी-कभी तुच्छ प्रतीत होते मामले बड़े-बड़े षड्यंत्रों के पर्दाफाश करते हैं ।

## अल्प सूचना चर्चा

कभी-कभी संसद सदस्य द्वारा अत्यावश्यक एवं गंभीर विषयों पर पूछे गए प्रश्नों पर मंत्रियों द्वारा दिये गए उत्तर से संतुष्ट नहीं होते । अध्यक्ष सरकार के साथ समझौता कर इन मामलों पर संक्षिप्त चर्चा की अनुमति दे सकता है । ये चर्चाएं ढाई घंटे से अधिक की अवधि के नहीं होते हैं। इस चर्चा पर मतदान नहीं होता परन्तु सरकार को जबाव देना पड़ता है ।

## काम रोको प्रस्ताव

काम रोको प्रस्ताव दैनिक नियंत्रण का साधन है । इसका प्रयोग सार्वजनिक महत्व के अति आवश्यक किसी विशिष्ट प्रश्न पर सदन में बहस आरंभ करने के लिए किया जाता है । अध्यक्ष द्वारा अनुमति दिये जाने पर उठाए गए प्रश्न पर तुरत बाद विवाद प्रारंभ हो जाता है और ऐसी दशा में सदन के सामान्य कार्य कुछ समय के लिए रुक जाता है । परन्तु अध्यक्ष प्रायः काम रोको प्रस्तावों को स्वीकार नहीं करता है ।

## बहस एवं चर्चा

उपर्युक्त वर्णित नियंत्रण के साधनों के अतिरिक्त सदस्यों को सार्वजनिक महत्व के मामलों पर चर्चा करने के लिए अनगिनत अवसर होते हैं । उनमें कुछ अवसर जैसे राष्ट्रपति का भाषण, वित्त मंत्री का बजट भाषण,

संसदीय समितियाँ

जैसा कि ऊपर वर्णन किया गया है लोक लेखा समिति की भूमिका की वित्त प्रशासन पर नियंत्रण रखना है । इसके अतिरिक्त संसद की अनुमति बजट में संलग्न होने के पहले समिति विभागों के अनुमानों उनका परीक्षण करता है । समिति शासन में मितव्ययिता एवं कार्यकुशलता की उपायों को सुझाव देता है जिसका प्रशासन की प्रकृति में बहुत महत्व है । समिति की प्रतिवेदनों पर चर्चा संसद सदस्यों को प्रशासनिक विभागों की कार्यकलापों की चर्चा एवं आलोचना करने का अवसर देता है ।

आश्वासन सम्बन्धी समिति :------- समिति अध्यक्ष के नियंत्रण के अधीन कार्य करता है । यह अक्सर होता है कि मंत्री संसद में विभिन्न चर्चों के दौरान बहुत से आश्वासन एवं वादे करते हैं । प्रारंभ में इन वादों एवं आश्वासनों पर कोई निगरानी नहीं रखी जाती थी, जब तक कि कोई सदस्य स्वयं उन पर निगरानी न रखें । आश्वासन सम्बन्धी संसदीय समिति अब सम्बन्धित मंत्रालयों तथा विभागों से आज्ञाकारिता का प्रतिवेदन प्राप्त करते हैं । उन्हें परीक्षण करने के बाद समिति उन्हें आवधिक प्रतिवेदनों को संसद के समक्ष रखता है । यह संसद सदस्यों को प्रतिवेदनों पर नजर डालने का अवसर देता है और साथ ही संसद में मंत्रियों द्वारा दिये गए आश्वासनों की पूर्ति पर नियंत्रण रखने में सहयोग करता है । समिति तदनुसार प्रशासन पर संसदीय नियंत्रण को और दृढ़ किया है । मंत्रीगण अब झूठे विवरणों एवं वादों को बढ़ा चढ़ाकर कहने की कोशिश नहीं कर सकते । प्रशासन भी अब आवेशित होकर कोई कार्य नहीं कर सकती क्योंकि वह भली भांति

सकती है कि वह मामला आश्वासन सम्बन्धी संसदीय समिति के समक्ष आ जायेगा ।

## (सी) अधीनस्थ विधि निर्माण की समिति

विधि बनाते समय संसद नियम, अधिनियम इत्यादि बनाने के लिए बहुत सी बातें कार्यपालिका पर छोड़ देती है । इन नियमों, अधिनियमों को संसद द्वारा निर्धारित विधियों के मुख्य योजना के अनुरूप होने चाहिए, इसे सुनिश्चित करने के लिए अधीनस्थ विधि निर्माण की समिति इन नियमों, अधिनियमों इत्यादि का परीक्षण करता है और इसकी प्रतिवेदन संसद के समक्ष रखता है । यह संसद को यह सुनिश्चित करने कि शासन प्रदत्त विधि के अधिकार का दुरूपयोग न करे, इसके लिए पर्याप्त नियंत्रण प्रदान करती है ।

इसके अतिरिक्त कुछ और समिति जैसे अनुरोध सम्बन्धी समिति जो संसद को प्रशासन पर नियंत्रण रखने में मदद करता है । इस समितियों के मुख्य लाभ निम्न है ।

(ए) ये समितियां धीरे-धीरे उन विषयों में दक्षता हासिल कर लेती है जिससे वे सम्बन्धित होते हैं ।

(बी) वे विभिन्न क्षेत्रों के विशेषज्ञों का बयान सुनकर बहुत आंकड़े इकट्ठे कर लेते हैं ।

## एप्पलबी की टिप्पणी

भारतीय शासन पर भारतीय संसद की नियंत्रक भूमिका

एप्पलबी ने भारतीय शासन पर भारतीय संसद

की [illegible] । [illegible] संसद [illegible]

चर्चा करने में बहुत सफल रहे, परन्तु प्रशासन पर नियंत्रण रखने में बहुत [illegible]

कारी सिद्ध न हुए । उसने निम्न तथ्यों को सुचीबद्ध किया है ।

(1) संसद सदस्य लेखा नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक को अतिश्योक्ति-पूर्ण महत्व देते है एवं उनके प्रतिवेदनों पर अत्यधिक, ध्यान देते है । [illegible] यह दृष्टिकोण पर बहस की जरूरत है । बहुत से लोग सोचते है कि लेखा नियंत्रक एवं महा लेखा परीक्षक का प्रतिवेदन एक कीमती दस्तावेज है और [illegible] ही संसद के लिए प्रशासन पर नियंत्रण का एक महत्वपूर्ण साधन है ।

(2) एप्पलबी महसूस करता है कि भारतीय संसद, बहुत हद तक धनी व्यापारियों द्वारा प्रभावित होता है । इसलिए इसका प्रशासन पर नियंत्रण कम हो जाती है ।

(3) संसद द्वारा लगाया गया अत्यधिक नियंत्रण सरकारी अधिकारियों की कार्य की पहल को दबाता है । वे डरपोक बन जाते है और कोई भी निर्भीक कदम कार्य नहीं ले सकते ।

(4) संसदीय सदस्य सदा महसूस करते हैं कि सरकारी अधिकारी उनके अधिकारों को हनन करते है तथा जनसाधारण के प्रति उत्तरदायी भी नहीं है । यह उनके बहुत चर्चा तथा कार्यों से प्रकट होता है । यह सरकारी अधिकारियों में स्वस्थ आदतें पैदा नहीं करता ।

(5) मंत्रीगण महसूस करते है कि संसद प्रबल एवं विशेषाधिकार की स्थिति में है स्वतंत्र मुक्त एवं स्पष्ट चर्चा एवं बहसों द्वारा वे प्रशासन पर स्वस्थ प्रभाव डाल सकते है । परन्तु यदि वे पद का दुरुपयोग करें तथा प्रशासन पर

... नियंत्रण ... कार्य के महत्व को

बताता है ।

## अध्यक्षात्मक प्रणाली में विधायी नियंत्रण

इस प्रणाली के अंतर्गत कार्यपालिका एवं विधायिका के बीच अधिकारों का पृथक्करण अधिक होता है । कार्यपालिका न तो विधान मंडल में बैठती है और न ही उसके प्रति जबाव देह होते है । प्रायः कार्यपालिका को विधान मंडल में बहुमत नहीं होता । इन स्थितियों में संसदीय प्रणाली के शासन के व्यवहारिक साधन जैसे प्रश्न, चर्चा, अविश्वास का प्रस्ताव इत्यादि अध्यक्षातमक प्रणाली वाले शासन में उपलब्ध नहीं होते । परंतु कांग्रेस प्रशासन पर नियंत्रण रखने के लिए अन्य साधनों का उपयोग करती है । इनमें से कुछ साधन निम्न है ।

§ 1 § प्रशासनिक प्राधिकरणों की संगठन, अधिकार एवं कर्तव्यों की विधिक परिभाषा —— अमेरिकन कांग्रेस प्रायः संगठनों जैसे स्वतंत्र नियंत्रकीय आयोग जो विशेष संवधि के अंतर्गत कांग्रेस के प्रति प्रत्यक्षः जबावदेह है ।

§ 2 § प्रशासनिक नियंत्रण के लिए जांच-पड़ताल कांग्रेस कार्यपालिका के कार्यों के सम्बन्धित महत्व के मामलों की जांच पड़ताल करने के लिए बहुत से समितियां नियुक्त करतीं हैं । ये कांग्रेसीय समितियाँ विभागों को कार्य कलापों को विस्तार से जांच पड़ताल करता है ।

§ 3 § नीतियां, व्यवस्थाएं, प्रक्रियाएं निर्धारित करने वाली विधि

पिक नियंत्रण लगाता है ।

(4) बजट प्रक्रिया —— कांग्रेस राजस्व एवं व्यय को कर एवं विनि-योजना द्वारा क्रमशः नियंत्रित करती है । यह व्यय का उद्देश्य [illegible] की रकम विभिन्न मदों पर सीमा [illegible] एवं [illegible] करती है ।

(5) अविश्वास प्रस्ताव के समतुल्य :—— अविश्वास प्रस्ताव का समतुल्य महाभियोग होता है । कांग्रेस मुख्य कार्य पालक अर्थात् राष्ट्रपति को महाभियोग की प्रक्रिया द्वारा हटा सकता है जो संसदीय प्रणाली के अविश्वास प्रस्ताव के तुलना में बहुत कठिन प्रक्रिया है ।

(6) निर्वाचित प्रतिनिधियों द्वारा प्रशासन का लक्ष्य जैसे आयोग के अन्तर्गत शहरी प्रशासन का नियोजन ।

## विधायी नियंत्रण के दोष

(1) नीतियों की रचना में कार्य पालिका निर्णायक भूमिका निभाती है । विधेयक की शासन द्वारा ही पहल होती है । वास्तव में बहुत कम ही निजी विधेयक संसद में पेश किये जाते हैं और उनमें से बहुत ही कम स्वीकृत भी होते हैं । संसदीय नेतृत्व प्रायः कार्य पालिका के हाथों होती है ।

(2) शासन का कार्य विस्तार एवं जटिलता दोनों क्षेत्रों में बहुत बढ़ी

है। विधान मंडल के पास कार्यपालिका के नियंत्रण पर न तो आवश्यक समय है और न ही क्षमता ।

(3) यहां तक कि वित्तीय नियंत्रण भी निम्न कारणों से प्रभावकारी ढंग से नहीं लगाया जाता ।

(एक) बजट की जटिलता को भी समझ नहीं पाने के कारण सदस्य अनुदान की मांगों का आलोचना करने में भी अनुच्छुक रहते है ।

(दो) संसद कार्य पालिका के प्रस्ताव के बिना कोई कर भी नहीं बढ़ा सकता । बेशक यह इसे कम अथवा अस्वीकृत कर सकता है । परन्तु कोई कर को प्रास्तावित या बढ़ाने का पहले कार्य पालिका द्वारा ही होता है ।

(तीन) दलीय प्रणाली के कारण राजनीतिक दल संकीर्ण एवं दलीय मामलों में उलझे समय बर्बाद कर देते हैं । उनके पास शायद ही नौकरशाही पर नियंत्रण रखने के लिए समय होता है । उनका नीतियों पर नियंत्रण भी कमजोर होता है ।

(4) कुछ क्षेत्रों में तो विधायी नियंत्रण बिल्कुल नहीं के बराबर है । उनमें से एक क्षेत्र रक्षा है । रक्षा सम्बन्धी मामले का गोपनीयता के दृष्टिकोण से विस्तार पूर्ण चर्चा भी नहीं हो सकता ।

## निष्कर्ष

विधायी नियंत्रण के विषय में सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न यह है कि किस हद तक कार्यपालिका पर नियंत्रण रखनी चाहिए । सरकारी अधिकारियों का किसी लोकप्रिय नियंत्रण के अधीन रखने के लिए कुछ हद तक नियंत्रण

नियंत्रण आवश्यक है ।

वरना वे निरंकुश तथा जन साधारण के आकांक्षाओं के प्रति उदासीन हो जायेंगे । जन साधारण के प्रतिनिधित्व करने वाले विधायकों को यह वैध अधिकार एवं कर्तव्य है कि वह कार्य पालिका पर सही नियंत्रण रखें । परन्तु इसके विपरीत यदि संसद कार्य पालिका पर कड़ी निगरानी रखती है तब यह कार्यपालिका में कार्य के पहले नियंत्रण लगाती है, मैं बाधायें उत्पन्न करेगा । इसलिए यह बेहतर होगा कि एक संतुलित दृष्टिकोण है जिसमें लगाई गई लोकप्रिय नियंत्रण कार्य पालिका के कार्य के पहल एवं लक्ष्यों के अनुरूप हो ।